बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– DoH/CS/01/2025–बा०वि०(भाग)-39- /कृ०, पटना, दिनांक 22/05/ ,2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवामें,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : **एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक कुल दो वर्षो के लिए आम एवं लीची के क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु कुल 312.00 लाख (तीन करोड़ बारह लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में 187.20 लाख (एक करोड़ सतासी लाख बीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक कुल दो वर्षो के लिए आम एवं लीची के क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु कुल 312.00 लाख (तीन करोड़ बारह लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में 187.20 लाख (एक करोड़ सतासी लाख बीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में फलों की उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में वृद्धि लाना है।

3. चतुर्थ कृषि रोड मैप में सन्निहित कार्यक्रमों/अवयवों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025–26 में "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" की कार्य योजना तैयार की गई है जो State Level Sanctioning Committee (SLSC) से दिनांक 28.04.2025 को तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 17.03.2025 को अनुमोदित है।

4. इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्रांश रू० 112.32 लाख (एक करोड़ बारह लाख बत्तीस हजार) रूपये एवं राज्यांश रू० 74.88 लाख (चौहत्तर लाख अठासी हजार) रूपये, कुल 187.20 लाख (एक करोड़ सत्तासी लाख बीस हजार) रूपये मात्र एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्रांश रू० 74.88 लाख (चौहत्तर लाख अठासी हजार) रूपयें एवं राज्यांश रू० 49.92 लाख (उनचास लाख बानवे हजार) रूपये, कुल राशि रू० 124.80 लाख (एक करोड़ चौबीस लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र आम एवं लीची के क्षेत्र विस्तार की योजना पर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत योजना से संबंधित विस्तृत अनुसूची– 1, 2.1, 2.2 एवं 3 के रूप में संलग्न है।

5. इस योजना अन्तर्गत आम के क्षेत्र विस्तार का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में एवं लीची के क्षेत्र विस्तार का कार्यक्रम भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, सीवान एवं वैशाली में कराया जाएगा।

6. इस योजना अंतर्गत उच्च घनत्व वाले आम (गैर समेकित) के क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत प्रस्तावित है। आम की खेती हेतु 5X5 मीटर पौधो से पौधो की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 400 पौधा की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त इकाई लागत 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान अर्थात 80,000 (अस्सी हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दो किस्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 48,000.00 (अड़तालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, द्वितीय किस्त में अनुदान का 40% अर्थात् 32,000.00 (बत्तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान की प्रथम किस्त की राशि चयनित किसानों को उनके द्वारा कार्य निष्पादन उपरांत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा नियमानुसार किया जायेगा एवं द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में किया जायेगा।

7. इस योजना अंतर्गत उच्च घनत्व वाले लीची (गैर समेकित) के क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत प्रस्तावित है। लीची की खेती हेतु 4.5X4.5 मीटर पौधो से पौधो की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 494 पौधा की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त इकाई लागत 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान अर्थात 80,000 (अस्सी हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दो किस्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 48,000.00 (अड़तालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर, द्वितीय किस्त में अनुदान का 40% अर्थात् 32,000.00 (बत्तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान की प्रथम किस्त की राशि चयनित किसानों को उनके द्वारा कार्य निष्पादन उपरांत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा नियमानुसार किया जायेगा एवं द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में किया जायेगा।

8. योजनान्तर्गत आम एवं लीची के क्षेत्र विस्तार के लिए देय अनुदान की राशि दो वर्षों (60:40) में भुगतान किया जायेगा।

9. भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद की राशि की विमुक्ति के पश्चात् ही राज्यांश की राशि का आवंटन एवं निकासी की जायेगी।

10. योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के आलोक में सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वयन अनुदेश निर्गत किया जायेगा।

11. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। योजना का लाभ लेने हेतु कृषकों का चयन **"पहले आओ पहले पाओ"** के आधार पर किया जायेगा।

12. डी.बी.टी. पोर्टल पर पंजीकृत कृषक के द्वारा http://horticulture.bihar.gov.in "योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें" लिंक पर Click कर Dashboard पर उपलब्ध "आम एवं लीची के क्षेत्र विस्तार की योजना, आवेदन करें" लिंक पर जाकर आवेदन किया जायेगा।

DBT कार्यक्रम के तहत् लाभुकों को अनुमान्य अनुदान की भुगतान दो विधि In cash transfer या In Kind Transfer में से किसी भी विधि से किया जा सकता है, बशर्त्ते कि लाभुक कृषकों का Biometric Authentication उनके आधार नम्बर के साथ हो।

13. कृषकों को योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 5 एकड (2 हेक्टेयर) के लिए देय होगा।
14. एकीकृत बागवानी विकास मिशन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त एवं राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान –सह– सदस्य सचिव, मिशन निदेशक नामित हैं, जबकि जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी तथा कार्यकारी प्रधान –सह– सदस्य सचिव सहायक निदेशक उद्यान नामित हैं।
15. इस योजना का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्न अनुसूची– 2.1, 2.2 एवं 3 के आलोक में मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार एवं सभी जिलों के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा।
16. नालंदा एवं वैशाली जिला में Indo-Israel Village of Excellence (IIVoE) कार्यक्रम अन्तर्गत Village Specific Plan के अनुसार योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जा सकेगा।
17. वार्षिक कार्ययोजना में सन्निहित फलों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम हेतु Quality Planting Materials की उपलब्धता विभागीय नर्सरी/कृषि विश्वविद्यालय अधीनस्थ नर्सरी/सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, देसरी, वैशाली/राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुसहरी, मुजफ्फरपुर के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।
18. योजना अंतर्गत आम एवं लीची के उपरोक्त आपूर्तिकर्ता द्वारा विभागीय/सरकारी दर पर चयनित कृषकों को आम एवं लीची का पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। कृषकों को देय अनुदान के प्रथम किस्त की राशि 48000/– रूपये प्रति हेक्टेयर में से पौधे का मूल्य का भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता को एवं शेष राशि का भुगतान कृषक को किया जाएगा।
19. द्वितीय किस्त के रूप में 32000/– रू0 प्रति हे0 के दर से चयनित कृषक को भुगतान किया जाएगा।
20. प्रावधानित बजट के आलोक में सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्रमशः 83.903 प्रतिशत, 15.00 प्रतिशत एवं 1.097 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि लाभुक में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
21. कृषि विभाग द्वारा स्वीकृति वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप केन्द्रांश की राशि एवं राज्यांश की राशि ट्रेजरी मोड में वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप निदेशक उद्यान, बिहार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि विभाग द्वारा आवंटित केन्द्रांश की राशि एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि को SNA Sparsh के माध्यम से व्यय किया जायेगा। मिशन निदेशक के द्वारा केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि का लिमिट व्यय हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को लक्ष्य के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

22. भारत सरकार के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में योजनान्तर्गत अनुदान का लाभ कृषकों/संबंधितों की इच्छा से DBT-IN-KINDS/DBT-IN-CASH के रूप में किसान/संबंधित को सीधे उनके बैंक खाता में SNA SPARSH के माध्यम से राशि की निकासी कर उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी –सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध करायेंगे। साथ ही महालेखाकार के अंकेक्षण हेतु विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
23. इस योजनान्तर्गत कुल 15600 मानव दिवस का रोजगार सृजन होने की संभावना है।
24. योजनान्तर्गत आय–व्यय की लेखा संधारण में PFMS के EAT Module का उपयोग किया जायेगा।
25. स्वीकृत राशि की निकासी में वित्त विभाग का पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
26. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन वित्तीय सीमा के अन्दर प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।
27. योजना अन्तर्गत राशि व्यय के पश्चात् उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के भीतर महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना एवं कृषि विभाग को निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।
28. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
29. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना होंगे।
30. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
1. केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0224–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401001190224, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष 0224–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	4363.14	94.23985
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0235–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01– 2401007890235, पी.एफ.एम. एस. कोड– 4138, विषय शीर्ष 0235–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	780.00	16.84800
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0257–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007960257, पी०एफ०एम० एस० कोड– 4138, विषय शीर्ष 0257–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	57.06	1.23215
योग	**5200.20**	**112.32**
2. राज्यांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0324–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401001190324, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष 0324–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	742.01	62.82657
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0335–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01– 2401007890335, पी.एफ.एम. एस. कोड– 4138, विषय शीर्ष 0335–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	520.00	11.23200

मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0357–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007960357, पी.एफ.एम.एस. कोड– 4138, विषय शीर्ष 0357–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	38.04	0.82143
योग	**1300.05**	**74.88**
कुल योग	**6500.25**	**187.20**
नोट :– राज्यांश (सामान्य जाति) अन्तर्गत प्रस्तावित राशि निर्धारित उपबंध से अधिक है। **तत्काल उपलब्ध राशि की निकासी की जाएगी एवं शेष राशि की निकासी अगले अनुपूरक/पुनरीक्षित उपबंध से किया जायेगा।**		

31. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक 13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा दिनांक–16.05.2025 को आयोजित बैठक में प्राप्त है। योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या DoH/CS/01/2025 के पृ0सं0–16/टि. पर दिनांक– 21.05.2025 को प्राप्त है।
32. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
33. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–DoH/CS/01/2025 के पृष्ठ संख्या–18/टि० दिनांक–22.05.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–347 दिनांक–22.05.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/CS/01/2025–प्रो०नि०स्था०-39- /कृ०, पटना, दिनांक 22/05/2025
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/CS/01/2025–प्रो०नि०स्था०-39- /कृ०, पटना, दिनांक 22/05/2025
प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/CS/01/2025–प्रो०नि०स्था०-39- /कृ०, पटना, दिनांक 22/05/2025
प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/CS/01/2025–प्र०वि०स्था०-39– /कृ०, पटना, दिनांक 22/05/2025

प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/CS/01/2025–प्र०वि०स्था०-39– /कृ०, पटना, दिनांक 22/05/2025

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक, उद्यान/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/CS/01/2025–प्र०वि०स्था०-39– /कृ०, पटना, दिनांक 22/05/2025

प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1

वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत आम एवं लीची के क्षेत्र विस्तार का कार्य योजना

(राशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	अवयव	इकाई लागत/हे०	सहायता अनुदान का प्रतिशत (केन्द्रांश + राज्यांश)	अनुदान की राशि/हे०	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य 2025–26 (प्रथम वर्ष) (अनुदान की राशि का 60 प्रतिशत अर्थात 0.48 लाख/हे०)			वित्तीय लक्ष्य 2026–27 (द्वितीय वर्ष) (अनुदान की राशि का 40 प्रतिशत अर्थात 0.32 लाख/हे०)			कुल वित्तीय लक्ष्य (0.80 लाख/हे०)		
						केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश (7+10)	राज्यांश (8+11)	कुल (9+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	आम का क्षेत्र विस्तार	2.00	40%	0.80	340	97.92	65.28	163.20	65.28	43.52	108.80	163.20	108.80	272.00
2	उच्च घनत्व वाले लीची (गैर समेकित) का क्षेत्र विस्तार	2.00	40%	0.80	50	14.40	9.60	24.00	9.60	6.40	16.00	24.00	16.00	40.00
	कुल योग :–				390	112.32	74.88	187.20	74.88	49.92	124.80	187.20	124.80	312.00

(राकेश कुमार)

(अभिषेक कुमार)

219

अनुसूची–2.1

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत आम एवं लीची के क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	उच्च घनत्व वाले आम (गैर समेकित) @0.48 लाख/हे०				उच्च घनत्व वाले लीची (गैर समेकित) @0.48 लाख/हे०				उच्च घनत्व वाले लीची (गैर समेकित) एवं उच्च घनत्व वाल आम (गैर समेकित) का कुल भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य			भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य			भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	2	7	8	9	10	3	4	5	6	11	12	13	14
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	5	1.440	0.960	2.400		-	-	-	5	1.440	0.960	2.400
2	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	5	1.440	0.960	2.400		-	-	-	5	1.440	0.960	2.400
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
4	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
5	सहायक निदेशक उद्यान, बेगुसराय	5	1.440	0.960	2.400		-	-	-	5	1.440	0.960	2.400
6	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	15	4.320	2.880	7.200	10	2.880	1.920	4.800	25	7.200	4.800	12.000
7	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
8	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
9	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
10	सहायक निदेशक उद्यान, गया	5	1.440	0.960	2.400		-	-	-	5	1.440	0.960	2.400
11	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
12	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
13	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	5	1.440	0.960	2.400		-	-	-	5	1.440	0.960	2.400
14	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर (भभुआ)	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
15	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
16	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
17	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
18	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
19	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
20	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
21	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	5	1.440	0.960	2.400		-	-	-	5	1.440	0.960	2.400
22	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	10	2.880	1.920	4.800	13	3.744	2.496	6.240	23	6.624	4.416	11.040
23	सहायक निदेशक उद्यान, नालंदा	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
24	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	5	1.440	0.960	2.400		-	-	-	5	1.440	0.960	2.400
25	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिम चम्पारण	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
26	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
27	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	10	2.880	1.920	4.800	13	3.744	2.496	6.240	23	6.624	4.416	11.040
28	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
29	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
30	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
31	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	10	2.880	1.920	4.800	5	1.440	0.960	2.400	15	4.320	2.880	7.200
32	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
33	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	5	1.440	0.960	2.400		-	-	-	5	1.440	0.960	2.400
34	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	5	1.440	0.960	2.400		-	-	-	5	1.440	0.960	2.400
35	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
36	सहायक निदेशक उद्यान, सीवान	10	2.880	1.920	4.800	4	1.152	0.768	1.920	14	4.032	2.688	6.720
37	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	10	2.880	1.920	4.800		-	-	-	10	2.880	1.920	4.800
38	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	10	2.880	1.920	4.800	5	1.440	0.960	2.400	15	4.320	2.880	7.200
कुल		**340**	**97.920**	**65.280**	**163.200**	**50**	**14.400**	**9.600**	**24.000**	**390**	**112.320**	**74.880**	**187.200**

अनुसूची–2.2

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत आम एवं लीची के क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	उच्च घनत्व वाले आम (गैर समेकित) @0.32 लाख/हे०				उच्च घनत्व वाले लीची (गैर समेकित) @0.32 लाख/हे०				उच्च घनत्व वाले लीची (गैर समेकित) एवं उच्च घनत्व वाल आम (गैर समेकित) का कुल भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य			भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य			भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	2	7	8	9	10	3	4	5	6	11	12	13	14
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	5	0.960	0.640	1.600		-	-	-	5	0.960	0.640	1.600
2	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	5	0.960	0.640	1.600		-	-	-	5	0.960	0.640	1.600
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
4	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
5	सहायक निदेशक उद्यान, बेगुसराय	5	0.960	0.640	1.600		-	-	-	5	0.960	0.640	1.600
6	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	15	2.880	1.920	4.800	10	1.920	1.280	3.200	25	4.800	3.200	8.000
7	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
8	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
9	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
10	सहायक निदेशक उद्यान, गया	5	0.960	0.640	1.600		-	-	-	5	0.960	0.640	1.600
11	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
12	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
13	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	5	0.960	0.640	1.600		-	-	-	5	0.960	0.640	1.600
14	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर (भभुआ)	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
15	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
16	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
17	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
18	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
19	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
20	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
21	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	5	0.960	0.640	1.600		-	-	-	5	0.960	0.640	1.600
22	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	10	1.920	1.280	3.200	13	2.496	1.664	4.160	23	4.416	2.944	7.360
23	सहायक निदेशक उद्यान, नालंदा	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
24	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	5	0.960	0.640	1.600		-	-	-	5	0.960	0.640	1.600
25	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिम चम्पारण	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
26	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
27	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	10	1.920	1.280	3.200	13	2.496	1.664	4.160	23	4.416	2.944	7.360
28	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
29	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
30	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
31	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	10	1.920	1.280	3.200	5	0.960	0.640	1.600	15	2.880	1.920	4.800
32	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
33	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	5	0.960	0.640	1.600		-	-	-	5	0.960	0.640	1.600
34	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	5	0.960	0.640	1.600		-	-	-	5	0.960	0.640	1.600
35	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
36	सहायक निदेशक उद्यान, सीवान	10	1.920	1.280	3.200	4	0.768	0.512	1.280	14	2.688	1.792	4.480
37	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	10	1.920	1.280	3.200		-	-	-	10	1.920	1.280	3.200
38	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	10	1.920	1.280	3.200	5	0.960	0.640	1.600	15	2.880	1.920	4.800
	कुल	**340**	**65.280**	**43.520**	**108.800**	**50**	**9.600**	**6.400**	**16.000**	**390**	**74.880**	**49.920**	**124.800**

(सर्वेश कुमार) राधा रमण

216

अनुसूची–3

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत आम एवं लीची के क्षेत्र विस्तार की योजना का जिलावार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य

(वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	केन्द्रांश				राज्यांश				कुल वित्तीय लक्ष्य
		सामान्य वर्ग (83.903%)	अनुसूचित जाति (15%)	अनुसूचित जनजाति (1.097%)	कुल	सामान्य वर्ग (83.903%)	अनुसूचित जाति (15%)	अनुसूचित जनजाति (1.097%)	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	1.20820	0.21600	0.01580	1.44000	0.80547	0.14400	0.01053	0.96000	2.40000
2	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	1.20820	0.21600	0.01580	1.44000	0.80547	0.14400	0.01053	0.96000	2.40000
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
4	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
5	सहायक निदेशक उद्यान, बेगूसराय	1.20820	0.21600	0.01580	1.44000	0.80547	0.14400	0.01053	0.96000	2.40000
6	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	6.04101	1.08000	0.07899	7.20000	4.02733	0.72000	0.05267	4.80000	12.00000
7	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
8	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
9	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
10	सहायक निदेशक उद्यान, गया	1.20820	0.21600	0.01580	1.44000	0.80547	0.14400	0.01053	0.96000	2.40000
11	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
12	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
13	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	1.20820	0.21600	0.01580	1.44000	0.80547	0.14400	0.01053	0.96000	2.40000
14	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर (भभुआ)	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
15	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
16	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
17	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
18	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
19	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
20	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
21	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	1.20820	0.21600	0.01580	1.44000	0.80547	0.14400	0.01053	0.96000	2.40000
22	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	5.55773	0.99360	0.07267	6.62400	3.70515	0.66240	0.04845	4.41600	11.04000
23	सहायक निदेशक उद्यान, नालंदा	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
24	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	1.20820	0.21600	0.01580	1.44000	0.80547	0.14400	0.01053	0.96000	2.40000
25	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिम चम्पारण	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
26	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
27	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	5.55772	0.99360	0.07268	6.62400	3.70515	0.66240	0.04845	4.41600	11.04000
28	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
29	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
30	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
31	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	3.62460	0.64800	0.04740	4.32000	2.41640	0.43200	0.03160	2.88000	7.20000
32	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
33	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	1.20820	0.21600	0.01580	1.44000	0.80547	0.14400	0.01053	0.96000	2.40000
34	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	1.20820	0.21600	0.01580	1.44000	0.80547	0.14400	0.01053	0.96000	2.40000
35	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61094	0.28800	0.02106	1.92000	4.80000
36	सहायक निदेशक उद्यान, सीवान	3.38296	0.60480	0.04424	4.03200	2.25530	0.40320	0.02950	2.68800	6.72000
37	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	2.41641	0.43200	0.03159	2.88000	1.61093	0.28800	0.02107	1.92000	4.80000
38	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	3.62460	0.64800	0.04740	4.32000	2.41640	0.43200	0.03160	2.88000	7.20000
कुल		**94.23985**	**16.84800**	**1.23215**	**112.32000**	**62.82657**	**11.23200**	**0.82143**	**74.88000**	**187.20000**

(राकेश कुमार)

(अभिषेक कुमार)